

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड(i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 306] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार अक्टूबर 19, 1978/ आश्विन 27, 1900
No. 306] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 19, 1978/ASVINA 27, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

गृह मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)
अधीक्षक

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 1978

सा. का. नि. 808(अ).—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रकृत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, सिक्किम राज्य सरकार के परामर्श से, भारतीय प्रशासन सेवा (वीर्यता का विनियमन) नियम, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिए स्तब्ध द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (वीर्यता का विनियमन) द्वितीय संशोधन नियम, 1978 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियम, 1954 के नियम 5घ के खण्ड (क) के परन्तुक को हटा दिया जाएगा।

[संख्या 14014/14/78-अ.भा.से.(1)]

टी. वी. रामानन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 1978

G.S.R. 506(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of All India Services Act, 1951 (61 of 1951) the Central Government, in consultation with the State Government of Sikkim, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Regulation of Seniority) Rules, 1954, namely :—

1 (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Regulation of Seniority) Second Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 The proviso to clause (a) of rule 5E of the Indian Administrative Service (Regulation of Seniority) Rules, 1954, shall be omitted.

[No. 14014/14/78-AIS(I)]

T. V. RAMANAN, Jt. Secy.